FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0111 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/05/2026 16:49 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** गुरूवार **Date From (दिनांक से):** 13/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 13/11/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/05/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/05/2026 16:49:32 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 150 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** NAGAUR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RATANA RAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MAGARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 07/05/1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PHITKASANI, KUDI BHAGTASNI, JODHPUR CITY WEST, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PHITKASANI, KUDI BHAGTASNI, JODHPUR CITY WEST, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMJI LAL MEENA		पिता:GOLARAM	1. PEEPLYA / CHENPURA POST RAJWAS / SHERPURA,VAYA LAVAN,DAUSA,RAJASTHAN,IN
2	RAMNIWAS		पिता:BHAGIRATH	1. JAWALI,MERTA ROAD(NAGAUR),NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि मेरा नाम रतना राम पुत्र श्री मगा राम निवास फिटकासनी जोधपुर पुलिस थाना कुडी भगतासनी का निवासी हुं दिनांक 14.06.2025 को पुलिस थाना कुचेरा जिला नागौर मे मेरे व राजुराम, उषा राम, पुखराज के खिलाफ रामस्वरूप पुत्र श्री श्याम लाल ने मुकदमा नं. 120/2025 पुलिस थाना कुचैरा में दर्ज करवाई जिसकी तफ्तीश पुलिस थाना कुचैरा थाने के सहायक उप निरीक्षक पुलिस श्री रामजीलाल मीणा द्वारा की जा रही है। जिसमें मुझे पुर्व में इस मुकदमें में गिरफ्तार किया गया था तथा गिरफ्तारी के दौरान मारपीट नही करने व कागजात हल्के बनाने की एवज में 24,000/- रूपये नकद श्री रामजीलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस को दिलवाये। जिसके बाद मेरी जमानत हो गई, मेरी स्कॉप्रियों गाड़ी नम्बर थाने में सीज की हुई है। रामजीलाल मीणा सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा मुझे अपने मोबाईल नं. से मेरे मोबाईल नम्बर पर बार-बार फोन करके सोनाराम पुत्र श्री मालाराम विश्नोई को मुकदमें मे नही फसाने की एवज में 20,000/- रूपये की मांग कर रहा है। तथा सोनाराम को थाने लाकर पुछताछ नोट बनाकर छोड़ने की बात कर रहा है तथा सोनाराम को पेश करने के बाद व रिश्वत की राशि 20,000/- देने के बाद ही मेरी गाड़ी स्क्रॉपियों छोड़ने की बात कर रहे है। मेरा रामजीलाल एएसआई से पुर्व में कोई लेन-देन बकाया नही है तथा ना ही कोई रंजिश है लेकिन में रिश्वती राशि श्री रामजीलाल एएसआई को नही देना चाहता हू। अतः उचित कानूनी कार्यवाही करावे। दिनांक- 13.11.2025 भवदीय, प्रार्थी रतना राम/मगाराम मोबाईल नं. ।।कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण।। कार्यवाही पुलिस दिनांक 13.11.2025 वक्त 2.00 पी. एम. इस समय मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण के समक्ष कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर परिवादी श्री रतना राम पुत्र श्री मगा राम निवास फिटकासनी जोधपुर पुलिस थाना कुडी भगतासनी ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट उपरोक्तानुसार इस आश्य की पेश की कि " मै रतना राम पुत्र श्री मगा राम निवास फिटकासनी जोधपुर पुलिस थाना कुडी भगतासनी का निवासी हुं दिनांक 14.06.2025 को पुलिस थाना कुचेरा जिला नागौर मे मेरे व राजुराम, उषा राम, पुखराज के खिलाफ रामस्वरूप पुत्र श्री श्याम लाल ने मुकदमा नं. 120/2025 पुलिस थाना कुचैरा में दर्ज करवाई जिसकी तफ्तीश पुलिस थाना कुचैरा थाने के सहायक उप निरीक्षक पुलिस श्री रामजीलाल मीणा द्वारा की जा रही है। जिसमें मुझे पुर्व में इस मुकदमें में गिरफ्तार किया गया था तथा गिरफ्तारी के दौरान मारपीट नही करने व कागजात हल्के बनाने की एवज में 24,000/- रूपये नकद श्री रामजीलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस को दिलवाये। जिसके बाद मेरी जमानत हो गई, मेरी स्कॉप्रियों गाड़ी नम्बर थाने में सीज की हुई है। रामजीलाल मीणा सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा मुझे अपने मोबाईल नं. से मेरे मोबाईल नम्बर पर बार-बा ार फोन करके सोनारा पुत्र श्री मालाराम विश्नोई को मुकदमें मे नही फसाने की एवज में 20,000/- रूपये की मांग कर रहा है। तथा सोनाराम को थाने लाकर पुछताछ नोट बनाकर छोड़ने की बात कर रहा है तथा सोनाराम को पेश करने के बाद व रिश्वत की राशि 20,000/- देने बाद ही मेरी गाड़ी स्क्रॉपियों छोड़ने की बात कर रहे है। मेरा रामजीलाल एएसआई से पुर्व में कोई लेन-देन बकाया नही है तथा ना ही कोई रंजिश है लेकिन में रिश्वती राशि श्री रामजीलाल एएसआई को नही देना चाहता हू। अतः उचित कानूनी कार्यवाही करावे परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाकर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। वक्त 2.30 पी.एम. इस समय कार्यालय के श्री भीम सिंह कानि. 446 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कानि. श्री भीम सिंह का परिवादी श्री रतनाराम से आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकालकर परिवादी श्री रतनाराम एवं श्री भीम सिंह

446 को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस की जाकर परिवादी व श्री भीम सिंह कानि. 446 के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को अपने स्तर पर आरोपी की लोकेशन गोपनीय रूप से पता करने हेतु कहा गया। वक्त 3.00 पी.एम. इस समय परिवादी रतना राम ने अपने स्तर पर पता कर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने अभी मेरे मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री रामजी लाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर से वार्ता की तो श्री रामजी लाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस बताया कि पुलिस थाना कुचैरा के आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु नागौर गये हुए है । एवं मुझे आज नागौर आने का व वहीं मिलने का कहा है। जिस पर परिवादी श्री रतना राम व श्री भीम सिंह कानि. 446 को गापनीयता बरतने की हिदायत कर रिश्वती राशि का मांग सत्यापन कर लाने हेतु परिवादी श्री रतना राम के साथ परिवादी के निजी वाहन से रवाना किया गया। वक्त 6.15 पीएम इस समय श्री भीम सिंह कानि. ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल फोन अवगत कराया कि मै कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के साथ परिवादी के निजी वाहन से नागौर से थोड़ा पहले पहुंचे तो आरोपी श्री रामजीलाल मीणा सहायक उपनिरीक्षक पुलिस का कॉल आया तथा बताया की कहा छिमराणी फांटे चौराहे पर हम चौराहे पर खड़े है आप आ जाओ तत्पश्चात मैने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु रवाना किया तथा मैने वहीं गोपनीय रूप से अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने स्वीच ऑफ कर मेरे पास रखा तथा परिवादी ने बताया कि मेरे व आरोपियों के मध्य वार्ता हो चुकी है। तथा बताया कि आरोपी कल मध्य प्रदेश चला जायेगा तथा दिनांक 18.11.2025 को मध्यप्रदेश से वापस आयेगा तथा दिनांक 18.11.2025 के बाद कॉल कर आने का कहा है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री भीम सिंह कानि. के मोबाईल से ही परिवादी को हिदायत की कि आप रिश्वती राशि की व्यवस्था करके रखे तथा श्री भीम सिंह कानि 446 को हिदायत दी कि आप परिवादी को वही छोड़ कर कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बिना सुने स्वीच ऑफ सुदा कार्यालय में उपस्थित आवे। दिनांक 14.11.2025 वक्त 8.30 ए.एम. इस समय श्री भीम सिंह कानि. नं. 446 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर स्विच ऑफ शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि "मैं श्रीमान के निर्देशानुसार कल दोपहर बाद कार्यालय से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्डर में रिकॉर्ड कर लाने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी की निजी स्वीफ्ट कार से रवाना होकर नागोर रवाना हुआ। कार्यालय से रवाना होकर नागौर से थोड़ा पहले पहुंचे तब आरोपी का परिवादी के मोबाईल पर कॉल आया परिवादी की लोकेशन पुछी तो परिवादी ने छिमराणी फांटे से थोड़ी पिछे होनी बताई तब आरोपी ने बताया कि हम छिमराणी फांटा पर जेएसके होटल से थोड़े आगे रोड़ पर खडे है। जिस पर मै व परिवादी छिमरानी फांटा पहुंच आरोपी की लोकेशन से थोड़ा पहले डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी श्री शैतान उर्फ रतना राम को सुपुर्द कर आरोपी श्री रामजी लाल मीणा सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा बताई लोकेशन की तरफ रवाना किया तथा मैं अपनी उपस्थिती छुपाते हुए आस-पास ही खडा रहा कुछ समय पश्चात परिवादी श्री शैतान उर्फ रतना राम अपनी स्विफ्ट गाडी लेकर मेरे पास आया जिस पर मैने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास रखा। इसी दौरान परिवादी श्री शैतान उर्फ रतना राम ने मेरे को बताया कि "मैं आपके पास से रवाना हुआ तो छिमराणी फांटे से थोड़ा आगे गया तो श्री रामजीलाल मीणा सहायक उपनिरीक्षक पुलिस व श्री रामनिवास कानि. मय सरकारी गाड़ी के उपस्थित मिले उनसे मेरी बात हो गई है। तथा मेरी जब्त स्कॉर्पियों को छोड़ने एवं सोनाराम का प्रकरण में से नाम निकालने एवं फ्रि करने की एवज में 50 हजार रूपये की मांग की जिस पर मेरे द्वारा थोड़ा कम करने का कहने पर आरोपी श्री रामजीलाल द्वारा 30 हजार रूपये देने का कहा। फिर मेरे द्वारा 30 हजार रूपये ज्यादा होने से कम करने की विनती करने पर आरोपी श्री रामजीलाल एवं सहआरोपी श्री रामनिवास द्वारा 25 हजार रूपये की मांग करना तथा उसी समय 2 हजार रूपये अलग से खर्चे पानी के लेना बताया। जिस पर मैने आपको जरिये फोन उपरोक्त हालात निवेदन किये तथा आपके निर्देशानुसार परिवादी को अपनी सकुनत को ही छोड़कर रवाना हो कार्यालय में उपस्थित आया हू" तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री रतना राम उर्फ शैतान एवं आरोपी श्री रामजीलाल मीणा सउनि.पु. एवं श्री रामनिवास कानि. के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो आरोपियों द्वारा परिवादी से उसके जब्तसुदा स्कॉर्पियों को छोड़ने एवं श्री सोनाराम का नाम हटाने एवं उनको फ्रि करने की एवज में 50 हजार रूपये की मांग करना, तथा परिवादी द्वारा कम करने की विनती करने पर 30 हजार रूपये एवं थोडा और कम करने की विनती करने पर 25 हजार रूपये की मांग करना तथा उसी समय 2000 लेने की पुष्टि हुई। जिस पर उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की आईंदा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात अब तक के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये। दिनांक 01.01.2026 वक्त 10.00 ए.एम. इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी रतना राम का प्रार्थना मय दस्तावेज एवं आरोपीगण व परिवादी के मध्य दिनांक 13.11.2025 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री रतना से सम्पर्क अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित

किया गया। वक्त 11.00 ए.एम. इस समय मन् उप अधीक्षक पुलिस श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रतना राम का प्रार्थना पत्र एवं मांग सत्यापन रूबरू वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड प्राप्त कर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में डालकर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी श्री रामजीलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं सहआरोपी श्री रामनिवास कानि. द्वारा दौराने मांग सत्यापन परिवादी से उनकी पुलिस थाना कुचेरा में जब्त स्कॉर्पियों छोड़ने एवं सोनाराम पुत्र श्री मालाराम विश्नोई को प्रकरण में नही फसाने की एवज में 50,000/- रूपये की मांग करना तथा परिवादी द्वारा कम करने का कहने पर 30,000/- एवं बाद और कम करने का कहने पर 25,000/- की रूपये रिश्वती राशि की मांग करना पाया गया। जिस पर मैने अग्रिम कार्यवाही परिवादी को जरिये टेलिफोन वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री रामजी लाल मीणा सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं सहआरोपी श्री रामनिवास कानि पुलिस थाना कुचेरा को मेरे द्वारा एसीबी की कार्यवाही भनक लग जाने के कारण श्री रामजीलाल एएसआई मेरे से कोई सम्पर्क नही कर रहे है। इसलिये अब आगे ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही है। तथा मेरे घर पर जरूरी कार्य है इसलिये मै फिरी होकर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउगा । दिनांक 14.01.2026 वक्त 4.30 पी.एम. इस समय परिवादी नाम रतना राम पुत्र श्री मगा राम निवास फिटकासनी जोधपुर पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी, जोधपुर कार्यालय में उपस्थित आया तथा एक लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि आरोपी श्री रामजी लाल मीणा सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं सहआरोपी श्री रामनिवास कानि पुलिस थाना कुचेरा को मेरे द्वारा एसीबी की कार्यवाही भनक लग जाने के कारण श्री रामजीलाल एएसआई मेरे से कोई सम्पर्क नही कर रहे है। इसलिये अब आगे ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही है। अब श्री रामजी लाल सहायक उप निरीक्षक पलिस एवं श्री रामनिवास मेरे से बात नही कर रहे है । इसलिए अब आगे ट्रेप की कार्यवाही संभव नही है। अग्रिम कानूनी कार्यवाही करावे। परिवादी श्री रतना राम से पुछताछ कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो आरोपी श्री रामजीलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं सहआरोपी श्री रामनिवास कानि. को एसीबी कार्यवाही की भनक लग जाने से अब कार्यवाही सम्भव नही आईंदा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। वक्त 4.40 पी.एम. इस समय परिवादी नाम रतना राम पुत्र श्री मगा राम निवास फिटकासनी जोधपुर पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी, जोधपुर रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान से अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से कार्यालय पत्रांक 101 दिनांक 14.01.2025 श्रीमान संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोन जोधपुर के नाम जारी कर श्री बल राम कानि. 252 को सुपुर्द गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त 5.00 पी.एम. इस समय श्री बल राम 252 गोपनीय कार्यवही हेतु गवाह लाने गये हुए कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर से दो गवाह लेकर कार्यालय में उपस्थित आया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो गवाहान को अपना परिचय दिया जाकर उनका परिचय पुछने पर दोनो गवाहान ने बारी-बारी से अपना परिचय श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री रतन सिंह चौहान जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी प्रतापनगर पुलिस थाना प्रतापनगर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर मोबाइ्रल नम्बर एवं श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री श्याम कुमार जाति सैन उम्र 52 वर्ष निवासी कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर मोबाइ्रल नम्बर के रूप में प्राप्त किया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री रतना राम से परिचय करवाया तत्पश्चात परिवादी श्री रतना राम द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दोनो गवाहान को पढाया गया एवं परिवादी व संदिग्ध श्री रामजी लाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना कुचेरा व सहआरोपी श्री रामनिवास कानि. पुलिस थाना कुचेरा के मध्य दिनांक 13.11.2025 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगी मैमोरी कार्ड रिकार्ड की गई थी उक्त मैमोरी कार्ड को निकालकर मन् महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास से निकालकर उक्त मैमोरी कार्ड को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में डालकर रिकॉर्डर को चालु कर रिकार्ड वार्ता के मख्य -मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर गवाहान ने अपनी-अपनी सन्तुष्टी जाहिर कर उक्त कार्यवाही में बतोर स्वतंत्र गवाह रहने की दोनो ने मौखिक सहमति दी तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय- 05.10 पी.एम. इस समय मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के रूबरू कार्यालय हाजा का डिजिटल वॉयस रिकार्डर में दिनांक 13.11.2025 को संदिग्ध श्री रामजी लाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस व सहआरोपी श्री रामनिवास कानि पुलिस थाना कुचेरा एवं परिवादी श्री रतना राम के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के वॉयस रिकार्डर में लगी मैमोरी कार्ड रिकार्ड करवाई थी उक्त वार्ता को रूबरू गवाहान एवं परिवादी के कार्यालय के कानि. श्री भीम सिंह कानि. से कम्प्युटर में कॉपी करवाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड मय मूल मैमोरी कार्ड को पुनः मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा एवं कॉपी की गई रिकार्ड वार्ता को रूबरू गवाहान एवं परिवादी के शब्द-बशब्द सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार करना शुरू किया जाकर मुर्तिब की गई। उक्त रिकार्ड वार्ता में आवाज की पहचान परिवादी श्री रतना राम द्वारा एक आवाज स्वयं की एवं दुसरी आवाज आरोपी श्री रामजी लाल मीणा व तीसरी आवाज श्री रामनिवास कानि. की होना बताया। उक्त वार्ता जो डिजिटल टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है जिसको कार्यालय के कम्प्यूटर मे कनेक्ट करके कम्पयूटर की

मदद से तीन मैमोरी कार्ड तैयार कर तीनो मैमोरी कार्ड को डब मानते हुए खुली हालात में रहने दिये गये। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में से मूल मेमोरी कार्ड को निकालकर एक कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर सील्ड मोहर किया जाकर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये तीनो डब मैमेारी कार्ड खुली हालत रखी जाकर जमा मालखाना करवाया गया। समय- 07.10 पी.एम. इस समय परिवादी श्री रतना राम एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। श्री रामनिवास कानि. रिश्वती राशि मांग सत्यापन दिनांक 13.11.2025 को पुलिस थाना कुचैरा में कानिस्टेबल 138 के पद पर पदस्थापित था पुलिस अधीक्षक जिला नागौर के पत्रांक 1290 दिनांक 17.04.2026 के अनुसार श्री रामनिवास कानि.का हैड कानि. के पद पर पदोन्नत होकर हैड कानि. नम्बर 138 के पद पर पुलिस थाना कुचैरा में पदस्थापित है। अतः मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार आरोपी श्री रामजी लाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना कुचैरा एवं श्री रामनिवास कानि. पुलिस थाना कुचैरा जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री रतना राम की स्कॉर्पियों को छोड़ने व सोनाराम पुत्र श्री मालाराम विश्नोई को मुकदमें मे नही फसाने की एवज में 50,000/- रूपये की मांग करना एवं परिवादी द्वारा कम करने की विनती करने पर 30,000/- रूपये की मांग करना। परिवादी द्वारा और कम करने की विनती करने पर आरोपी श्री रामजी लाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं सहआरोपी श्री रामनिवास कानि. 138 द्वारा 25,000/- रूपये रिश्वती राशि के तय करना पाया गया है। इस तरह श्री रामजी लाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री रामनिवास कानि. पुलिस थाना कुचैरा जिला नागौर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 61 (2) बीएनएस 2023 का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। अतः आरोपी श्री रामजी लाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री रामनिवास कानि. 138 पुलिस थाना कुचैरा जिला नागौर का उक्त कृत्य अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 61 (2) बीएनएस 2023 का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री रामजी लाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना कुचैरा एवं श्री रामनिवास कानि. 138 पुलिस थाना कुचैरा जिला नागौर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन प्रेषित की जा रही है। भवदीय, (पारस सोनी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण। ....कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 61 (2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री रामजी लाल मीणा पुत्र श्री गोलाराम निवासी ग्राम पीपल्या (चेनपुरा), पोस्ट रजवास (शेरपुरा), वाया लवाण, जिला दौसा हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना कुचैरा जिला नागौर एवं 2-श्री रामनिवास पुत्र श्री भागीरथ निवासी ग्राम जावली, थाना मेडतारोड जिला नागौर हाल कानि. 138 पुलिस थाना कुचैरा जिला नागौर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गोरधन राम, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ईंटे को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 711 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 711-14 दिनांक 06.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- पुलिस अधीक्षक, जिला नागौर 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** gordhan ram **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/05/2026 16:52:04

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1972				
2	Male	1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)